प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2022

विषयः- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एन0ई0-3/2021/2577, दिनांक 09.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता मे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने से पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत इस प्रकार के अन्य निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शासनादेश दिनांक

08.12.2021 द्वारा जिन मानदण्डों का आधार/संज्ञान लेते शुल्क निर्धारित किया गया है उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ के लिए शुल्क निर्धारण हेतु मानदण्ड अपनाते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ के प्रबन्धक/ प्रतिनिधि को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 11.01.2022 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्था के पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ द्वारा संचालित स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 का एतद्द्वारा निम्नवत शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क धनराशि रू0 में		
	क्लीनिकल	नॉन क्लीनिकल	
		पैथोलॉजी	अन्य
टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	21,63,946	11,11,700	8,00,000

7- शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों यथा छात्रावास शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य) एवं विविध शुल्क के रूप में निजी क्षेत्र के अन्य मेडिकल कालेजों हेतु शासनादेश दिनांक 08.12.2021 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित शुल्क की भांति टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस0) में शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निम्नवत निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. <u>छात्रावास शुल्क-</u>

(ए) नॉन ए0 सी0 सिंगिल आक्यूपेन्सी - रू0 2,50,000 प्रतिवर्ष।
(बी) ए0 सी0 सिंगिल आक्यूपेन्सी - रू0 3,00,000 प्रतिवर्ष।
(सी) नॉन ए0 सी0 डबल आक्यूपेन्सी - रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।
(डी) ए0 सी0 डबल आक्यूपेन्सी - रू0 2,10,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. <u>सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-</u>

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 5,00,000 (एक बार)।

3. <u>विविध शुल्क-</u> रू0 1,28,400 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत

वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by अशोक कुमार
Date: 17-01-2022 17:31:
Reason: Approved
(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बाँसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव